न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी–उम्मेद सिंह रतनू, आर.ए.एस.

अपील संख्या 46/2014 निर्णय दिनांकः– 24-06-2025
(जीसीएमएस संख्या 2014/00010)

1. गौरीशंकर पुत्र हनुमानसिंह जाति बिश्नोई निवासी क्वार्टर नम्बर 9/106 मुक्ता प्रसाद कॉलोनी, बीकानेर।
2. पूनमचन्द पुत्र हनुमानसिंह जाति बिश्नोई निवासी क्वार्टर नम्बर 7/120 मुक्ता प्रसाद कॉलोनी, बीकानेर।
3. राजाराम हनुमानसिंह जाति बिश्नोई निवासी क्वार्टर नम्बर 7/119 मुक्ता प्रसाद कॉलोनी, बीकानेर।

–अपीलांट्स

–बनाम–

1. भारमल पुत्र परतुराम जाति बिश्नोई निवासी चक 4 पीबी तहसील पूगल जिला बीकानेर।
2. पाबूराम पुत्र लेखराम जाति बिश्नोई निवासी चक 4 पीबी तहसील पूगल जिला बीकानेर।
3. स्टेट ऑफ राजस्थान, जरिये तहसीलदार, पूगल।

–रेस्पोडेन्ट्स

अपील विरूद्व आदेश दिनांक 26–05–1993
सहायक आयुक्त उपनिवेशन, छत्तरगढ़

उपस्थितिः–

1. श्री नरेन्द्र गौड़, अभिभाषक अपीलांट्स
2. श्री भगवानाराम गोदारा, अभिभाषक रेस्पोडेन्ट् संख्या 2
3. श्री मिलाप चन्द धतरवाल, राजकीय अभिभाषक

–निर्णय–

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

PB-3(15600-39100)

	6600	6800	7200	7600	8200	8700	8900	9500	10000

1. अपीलांट् ने उक्त अपील सहायक आयुक्त उपनिवेशन, छत्तरगढ़ के आदेश दिनांक 26–05–1993 जिसके द्वारा अपीलांट्स के मुरब्बें में निहित भूमि का आवंटन बतौर स्मालपेच में रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को किया गया, के विरूद्व इस न्यायालय में राजस्थान उपनिवेशन (इगानप योजना में सरकारी कृषि भूमि आवंटन व विक्रय नियम) 1975 के नियम 23 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है।

2. रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही की गई। विद्वान अभिभाषक अपीलांट व अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 2 तथा राजकीय अभिभाषक की बहस सुनी गई।

3. विद्वान अभिभाषक अपीलांट्स ने बहस करते हुए बताया कि अपीलांट्स के धारण की भूमि चक 4 पीबी के मुरब्बा नम्बर 48/34 में निहित भूमि रही है। उक्त भूमि अपीलांट् द्वारा रिकार्डेड खातेदार मंगेज सिंह से जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र क्रय की गइ थी। तथा उनकी मृत्यु के उपरान्त जरिये वसीयतकर्ता अपीलांट्स का वादग्रस्त भूमि पर निरन्तर कब्जा काश्त चला आ रहा है। उक्त भूमि के चिपते ही किला नम्बर 11 व 25 की भूमि आराजीराज दर्ज रिकार्ड होने पर रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा उक्त भूमि में से मुरब्बा नम्बर 48/43 के किला नम्बर 25 की भूमि को बतौर स्मालपेच आवंटन किये जाने हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया गया। उक्त प्रार्थना पत्र पर संबंधित पटवारी हल्का द्वारा रिपोर्ट अंकित किये जाने के उपरान्त अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आराजी जैर के किला नम्बर 25 के साथ–साथ किला नम्बर 11 की भूमि का आवंटन बतौर स्मालपेच रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को विधि विरूद्व तरीके से कर दिया गया। जबकि उक्त दोनों किलों की भूमि अपीलांट्स के मुरब्बें में निहित भूमि थी, जिसके आवंटन की प्रथम वरीयता अपीलांट्स की बनती है। स्मालपेच आवंटन नियमों में जिस काश्तकार की भूमि उसी मुरब्बें में निहित होती है, को ही प्रथम वरीयता में आवंटन का पात्र माना गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उपरोक्त विधिक प्रावधानों के विपरीत जाकर आराजी जैर का आवंटन रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को उसकी मांग के विरूद्व किया गया है। जिसकी विधि अनुमति प्रदान नहीं करती है।

अभिभाषक अपीलांट द्वारा मियाद के संबंध में कथन किया कि अपीलाधीन आदेश पूर्व अपीलांट् को पक्षकार स्थापित किये बिना पारित किया गया है जिसकी सूचना अपीलांट को नहीं होने के कारण

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

अपीलाधीन आदेश की जानकारी अपीलांट को नहीं हो सकी थी। अपीलांट को अपीलाधीन आदेश की प्रथम जानकारी दिनांक 10–02–2014 को हुई एवं जानकारी के दिन से अपीलांट द्वारा अपील अंदर मियाद प्रस्तुत की जा रही है। उक्त आशय का शपथ पत्र भी अपीलांट द्वारा प्रस्तुत किया गया है। अतः अपीलांट के प्रार्थना पत्र एवं शपथ पत्र पर विश्वास करते हुए अपील अंदर मियांद घोषित की जावे।

4. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 2 द्वारा अभिभाषक अपीलांट के कथनों का समर्थन करते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वादगत भूमि का आवंटन रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को किया गया है जबकि वादगत भूमि रेस्पोडेन्ट संख्या 2 के मुरब्बे में निहित होने से वादगत भूमि के आवंटन हेतु प्रथम वरीयता रेस्पोडेन्ट संख्या 2 की ही बनती थी। रेस्पोडेन्ट संख्या 2 को वादगत भूमि के आवंटन से पूर्व किसी प्रकार की कोई सूचना अथवा सुनवाई का कोई अवसर प्रदान नहीं किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित किये जाने से पूर्व जो तहसील स्तर से रिपोर्ट प्राप्त की है उक्त रिपोर्ट में रेस्पोडेन्ट संख्या 2 को वादगत भूमि के समीपस्थ काश्तकारों की सूची में अंकित किया गया है उसके बावजूद भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वादगत भूमि के आवंटन से पूर्व रेस्पोडेन्ट संख्या 2 को किसी प्रकार का कोई नोटिस प्रदान नहीं किया गया है। लिहाजा रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को किया गया आवंटन स्मालपेच नियमों के विपरीत होने से खारिज योग्य है।

आगे अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 2 द्वारा मियांद पर कथन किया गया कि अपीलांट् एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 2 को सुनवाई व सबूत का अवसर प्रदान किये बिना ही अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है जो कि प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत होने से एवं एकतरफा पारित आदेशों पर मियांद अधिनियम बाध्यकारी नहीं होने से अपीलांट्स द्वारा प्रस्तुत अपील को अंदर मियांद शुमार किया जावे।

5. विद्वान राजकीय अभिभाषक ने पत्रावली पर बहस करते हुए कथन किया कि अपील स्पष्ट रूप से मियांद बाहर प्रस्तुत की गई है तथा अपीलांट द्वारा मियांद प्रार्थना पत्र में मियांद कण्डोन किये जाने के संतोषजनक कारण अंकित नहीं किये जाने से अपीलांट की अपील मियांद पर खारिज की जावे।

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

आगे राजकीय अभिभाषक ने बहस करते हुए कथन किया कि अपीलांट प्रस्तुत अपील में किस तरह से हितबद्ध एवं प्रभावी पक्षकार है यह बताने में अपीलांट असफल रहे है। अपीलाधीन आदेश जिस समय पारित किया गया था उस समय अपीलांट के हक भूमि पर उत्पन्न नहीं हुए थे। अपीलाधीन आदेश वर्ष 1993 में पारित किया गया था जबकि पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज से यह साबित होता है कि अपीलांट के हक वादगत भूमि पर वर्ष 1996 में उत्पन्न हुए थे। इस सूरत में अपीलांट के प्रस्तुत अपील में किस प्रकार हित सृजित हुए यह बताने में अपीलांट असफल रहे है। अतः अपीलांट की अपील लोकस स्टेण्डाई पर खारिज फरमाई जावे।

6. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।

7. प्रकरण में सर्वप्रथम मियाद के संबंध में अपीलांट का कथन है कि अपीलांट द्वारा जानकारी के दिन से अपील प्रस्तुत की गई है एवं आराजी जैर की पूर्ववर्ती अपीलांट् को प्रस्तुत प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय में पक्षकार स्थापित नहीं होने से अपीलाधीन आदेश की जानकारी प्राप्त नहीं हो पाई थी एवं जानकारी के दिन से अपील अंदर मियांद प्रस्तुत की गई है। इस संबंध में विधि में भी यह स्थापित किया गया है कि जहां अपील का निस्तारण गुणावगुण पर किया जाना हो, वहॉ न्यायालय को मियाद के बिन्दु पर नरम रूख अपनाते हुए प्रकरण का निस्तारण गुणावगुण पर किया जाना चाहिए तथा न्यायहित में अपील का निस्तारण गुणावगुण पर किया जाना श्रेयस्कर है। लिहाजा अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील अंदर मियांद शुमार की जाती है।

प्रस्तुत प्रकरण में जहां तक अपीलांट द्वारा अपील प्रस्तुत किये जाने की अनुमति का प्रश्न है, हस्तगत् प्रकरण में वादग्रस्त भूमि के आवंटन हेतु रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा प्रार्थना पत्र पेश किये जाने पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नियमानुसार मौके की रिपोर्ट प्राप्त करने के उपरान्त आराजी जैर मुरब्बा नम्बर 48/34 के किला नम्बर 11 व 25 की भूमि का आवंटन रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को बतौर स्मालपेच वर्ष 1993 में किया गया था। तत्समय मुरब्बा नम्बर 48/34 के भूमि धारक मंगेज सिंह द्वारा रेस्पोडेन्ट के आवंटन के विरूद्व किसी प्रकार की कोई अपील

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किये जाने का कोई प्रमाण पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है। कालान्तर में मुरब्बा नम्बर 48/34 के भूमिधारक मंगेजसिंह से पूर्ववर्ती अपीलांट् किस्तूरी देवी द्वारा जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र वर्ष 1996 में मुरब्बा नम्बर 48/34 की भूमि को क्रय किया जाना दर्शित होता है। जिससे यह स्पष्ट जाहिर है कि आराजी जैर पर पूर्ववर्ती अपीलांट् किस्तूरी देवी के हित वर्ष 1996 से उत्पन्न हुए है, जबकि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को मुरब्बा नम्बर 48/34 के किला नम्बर 11 व 25 का भूमि का आवंटन वर्ष 1993 में किया जा चुका था। इस प्रकार अपीलांट्स जोकि किस्तूरीदेवी के वसीयतकर्ता है, की आराजी जैर पर हितबद्धतता प्रकट नहीं होती है। प्रकरण में जहां तक रेस्पोडेन्ट संख्या 2 के आपत्ति का प्रश्न है, इस संबंध में अपीलाधीन आदेश पारित किये जाने के पश्चात आदिनांक तक रेस्पोडेन्ट संख्या 2 द्वारा रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के आवंटन को किसी सक्षम न्यायालय में चुनौती प्रदान नहीं की गई है। ऐसी स्थिति में रेस्पोडेन्ट संख्या 2 द्वारा किसी अन्य व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत अपील में रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के आवंटन के विरूद्ध चुनौती प्रदान नहीं की जा सकती है। साथ ही हस्तगत प्रकरण में अपीलांट्स के अधिकार उत्पन्न नहीं होने से अपीलांट्स द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 सीपीसी अस्वीकार किया जाकर हस्तगत अपील हितबद्धता के बिन्दु पर खारिज योग्य पाई जाती है। यदि वादगत भूमि के आवंटन में किसी प्रकार की कोई अनियमितता है और अपीलांट्स उससे व्यथित है तो जिला कलक्टर के समक्ष धारा 22 (3) के अन्तर्गत कार्यवाही करने हेतु स्वतंत्र है एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 2 अपीलाधीन आदेश से प्रभावित है तो वो अपील प्रस्तुत करने हेतु स्वतंत्र है।

8. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलांट्स की हस्तगत् अपील खारिज की जाती है तथा सहायक आयुक्त उपनिवेशन, छत्तरगढ़ का अपीलाधीन आदेश दिनांक 16–05–1993 यथावत बहाल रखा जाता है।

9. निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 24-06-2025 को सरे इजलास सुनाया गया।

(उम्मेद सिंह रतनू)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर